

कार्यालय छावनी परिषद, लन्डौर


कार्यालय आदेश

संख्या: 68

दिनांक: 22 अप्रैल, 2021

संदर्भ सचिव उत्तराखंड शासन शासनादेश संख्या: 323/xxxi(15)G/2020-04(सा0)/2021 दिनांक 22.04.2021 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के रोकथाम हेतु दिनांक 23, 24 एवं 25 अप्रैल 2021 को प्रदेश के सभी कार्यालय बंद रखे जाने का आदेश हुआ है।

अतः दिनांक 23.04.2021 को कार्यालय छावनी परिषद, लन्डौर में होने वाली बोली को स्थगित कर दिनांक 26.04.2021 को बोली पूर्व नियत समय पर बोली जाएगी।

  
मुख्य अधिशासी अधिकारी  
छावनी परिषद, लन्डौर

प्रतिलिपि:

1. नोटिस बोर्ड, छावनी परिषद लन्डौर।
2. वैबसाइट, छावनी परिषद लन्डौर।
3. एस0डी0एम0 मसूरी - सूचनार्थ।
4. थाना प्रभारी मसूरी - सूचनार्थ।

प्रेषक,

डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ ।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग

देहरादून: दिनांक 22 अप्रैल, 2021

विषय:- कोरोना वायरस (COVID-19) रोकथाम के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि शासन द्वारा शासनादेश संख्या-307/353/xxxi(15)G/2020-04(सा0)/2021 दिनांक 14 अप्रैल, 2021 एवं शासनादेश संख्या-316/xxxi(15)G/2020-04(सा0)/2021 दिनांक 20 अप्रैल, 2021 के द्वारा शासकीय कार्यालयों में कोरोना वायरस (COVID-19) के बढ़ते हुए संक्रमण की रोकथाम हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

2- वर्तमान में कोरोना वायरस (COVID-19) के बढ़ते हुए संक्रमण को प्रभावी तरीके से रोकथाम हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालयों को छोड़कर प्रदेश के सभी कार्यालय वर्तमान सप्ताह (दिनांक 23, 24 एवं 25 अप्रैल) तीन दिन शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार को बंद रखे जायेंगे। इन तीन दिवसों में शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार को प्रदेश के सभी कार्यालयों को भीतर तथा आस-पास मानकानुसार Sanitization करने की कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पन्न की जायेगी।

इन आदेशों का प्रभावी रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय)

सचिव

संख्या- /xxxi(15)G/2020-04(सा0)/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. समस्त निजी सचिव, मा० मंत्रिगण, उत्तराखण्ड को मा० मंत्रिगण महोदय के संज्ञानार्थ।
5. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. राज्या सरकार की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय)

सचिव।